RAJYA SABHA

Friday, the 24th August, 1984|2 *Bhadra,* 1906 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Slaughter of cows and milch cattle

*441. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI ASHWANI KUMAR:†

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of cows and other milch cattle slaughtered in various parts of the country during each of the last three years and the current year so far;

(b) the production of beef, beef-tallow and tallow of other cattle during the above period;

(c) whether Government propose to ban the production of beef-tallow and animal rennet and their use in the country; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Nineteeen States and five Union Territories having legislations on banning or restricting slaughter of cow and its progeny do not allow slaughtering of cattle fit for breeding, milch and draught purposes. According to available information, the number of cows slaughtered in the country during 1981, 1982 and 1983 was estimated to be 55,807; 94,572 and 70,501 respectively.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashwani Kumar.

(b) The quantity of beef produced in the year 1981 and 1982 is to the tune of 78 and 80 thousand M.T. respectively. Information regarding beef produced during 1983 and the current year is not available. The fat (tallow) is generally sold along with meat in India. Therefore, the scope to withdraw separable animal fat from the meat is limited. As no survey has been conducted in the past, the quantity of tallow produced is not available.

(c) and (d) The scope for separation of animal tallow from meat is limited and animal rennet is not produced in the country at present.

श्री अश्विनी कुमार: माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्व का प्रश्न है और जिस ढंग से उत्तर आया है, उसमें कई कमियां मुझे दीखती हैं। मैं आपके माध्यम से यह रखना चाहता हूं कि 'डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पालिसी' में कहा है :—

"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

यह 'डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज आफ स्टेट पालिसी है। इसके बाद भी जब देश के अंदर इसका अनुसरण नहीं किया गया है, तो 12 अप्रैल, 1979 को लोक सभा ने रेजोल्यूशन' दिया है।

"The House directs the Government to ensure total ban on cow slaughter of all ages and cows in consonance with the Directive Principles laid down under article 48 of the Constitution as interpreted by the Supreme Court as well as

accepted by strong economic considerations based on the recommendations of the Cattle Preservation and Development Community and the reported fast of Acharya Vinobha Bhave from 21st April 1979."

यह इतने महत्व का विषय है और इस महत्व के विषय में और अधिक महत्व प्रदान किया है 24-8-1982 को हमारी आज की प्रधान मंत्री ने— सभी प्रदेशों की सरकारों को, मुख्य मंत्रियों को लिखा कि जो भी गो-हत्या निरोध कानून बने हैं, उनके शब्द और भाव का कड़ाई से पालन किया जाए। परन्तु एक काश्मीर स्टेट को छोड़ कर जहां पर कि किसी भी प्रकार की गाय, बैल की हत्या के ऊपर प्रतिबंध है, बाकी सभी स्टेट्स के अंदर कुछ न कुछ उसके अंदर छूट है, जिसके कारण क्या परिस्थिति हो रही है मैं थोड़ा-सा आपके सामने एक दो वाक्य में रखना चाहूंगा कि कितनी गाय कट रही हैं। सरकार ने कुछ आंकड़े दिये हैं। मेरे पास बम्बई के देवनार स्लाटर हाऊस के आंकड़े हैं। उसमें कहा गया है कि 1973-74 में वहां 68,000 गाय कटी हैं, 1976-77 में 91,000 1979-80 में एक लाख उन्नीस हजार और 1980-81 में एक लाख इक्कीस हजार, बराबर, बढ़ता चला जा रहा है और इसका प्रमाण इससे भी प्राप्त होता है कि जो एक्सपोर्ट आफ मीट हम कर रहे हैं, 1973-74 में मात्र दो हजार टन हमने एक्सपोर्ट किया, 1978-79 में 42,000 टन किया।

श्री सभापति : यह तो सब आया है, जाहिर है। आप सवाल पूछिये।

श्री अश्विनी कुमार : मेरे पास जो आंकड़े हैं वह मैं देना चाहता हूं। 1980 में एक्सपोर्ट 80 हजार टन हो गया है। मतलब 40 गुना 73-74 से बढ़ गया है और यह सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून के अन्दर कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसके कारण यह लूपहोल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पहला प्रश्न स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि यह जो लूपहोल है बूढ़े, अनुपयोगी बैलों के कत्ल की छूट दी गई है इसको हटाकर आप संविधान की धारा 48 में गाय और बछड़े के स्थान पर उसको गाय और उसकी संतति

Instead of 'cows and calves', are you prepared to put in the Constitution 'cow and its progenies' or not?

यह मेरा एक स्पष्ट प्रशन है, मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : माननीय सभापति महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने खुद बताया है, ऐसा है यह सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है और प्लान के मुताबिक जो आर्टीकल 246 (3) है

Entry 15 of the Second List of the Seventh Schedule is:

> "Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice."

यह स्टेट का विषय बनता है और स्टेट गवर्नमेन्ट उसके लिए ला इनैक्ट कर सकती है। मैंने बताया है. मेरे जवाब में स्टेट गवर्नमेंटस ने ऐसे ला का इनैक्टमेंट भी किया है। अब सवाल उठता है उसके पालन का कई जगह अच्छी तरह से पालन होता है कई जगह नहीं। इसलिए हमारी प्रधान मंत्री ने एक पत्र लिखा है हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को और उसमें बताया गया है. खास करके तीन बातों पर प्रधान मंत्री ने ज्यादा जोर दिया है। खास करके पहली बात कही है.

we must ensure that the ban is enforced in letter and spirit.

दूसरी बात कही है

that the ban on cow-slaughter is not allowed to be circumvented by dubious methods.

और तीसरी बात कही है

and also it is suggested that a committee might be appointed to inspect cattle before they are admitted to a slaughter-house.

उसके बाद भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब. ने श्री राव बीरेन्द्र सिंह ने दो लैटर लिखे है। एक लिखा है. 2.4.82 को और दूसरा लिखा है 1983 में। यह दो लैटर लिखे है और सब स्टेट गवर्नमेन्ट को को कहा गया है कि ला जो इन लोगों ने इनैक्ट किया है उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन कुछ जगह नहीं हुआ है तो वहां केसैज हुए हैं। जहां तक देवनार के कत्लखाना की बात माननीय सदस्य ने कही है. वह गाय नहीं हैं लेकिन यह बोवाइन उसमें बुल-क्स वगैरह जो बूढे होते हैं उनको काटा होगा। क्योंकि मेरे पास यहां जो फिगर हैं वे बोवाइन के फिगर हैं। उसमें बताया गया है। 1983 में 3 लाख 46 हजार 189 काटा गया है। महाराष्ट्र में तो हो सकता है कि बोवाइन का जो है वह तो because they are disabled. तो उसके बारे में जो आप कह रहे हैं ये सब मीनज़ बोवाईन जो व्हाइट कटलज वगैरह जितने हैं गाय और बैल या बुलक इन सब के स्लाटर पर प्रतिबंध रखने की आप बात कर रहे हैं लेकिन उस पर काफी रिस्ट्रिक्शन है जो ड्राट एनीमल हैं जो मिलच हैं कैटल हैं उनको तो कहीं भी काटा नहीं जा रहा है। गाय काटने को तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है और यह जो बात कर रहे हैं यह गलत बात है।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था वह बड़ा स्पष्ट था कि क्या संविधान की 'धारा' 48 में "काउ" एंड "काव्ज़" जो लिखा गया है उसके बजाय आप "काउ एंड इट्स प्रोज़िनी" करने को तैयार हैं, इसका उत्तर नहीं दिया है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा हूं मंत्री महोदय से आग्रह भी करूंगा कि इसका भी वह उत्तर दें। उनकी चर्चा में आया है कि प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है, कृषि मंत्री ने पत्र लिखे हैं, मैंने भी निवेदन किया है कि जहां पर गाय का प्रश्न है, अनुपयोगी के नाम पर यूज़लेस, जो बूढ़े हो गए हैं, उनको काटने की जो सुविधा प्रदान की है उसके नाम पर यह सारा काटने का चल रहा है और जिसकी देश के अन्दर समस्या है। सर्टीफिकेट कितने में मिलता है? एक आदमी बीमार हो जाता है तो कितने दिन में मैडिकल सर्टीफिकेट मिलता है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं? तो काउ कौन सी उपयोगी है या अनुपयोगी है वह कैसे सर्टीफिकेट मिलता है, यह हम सब जानते हैं। और इसलिये जो राज्यों का विषय था, मैं उसके विषय में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। यह बात सही है कि संविधान की धारा के अनुसार यह जो काऊ प्रोटेक्शन, गाय के संवर्धन, गाय के संरक्षण का प्रश्न है, यह स्टेट का है, जिसके कारण यह कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें से जो चार-पांच विषय गाय से संबंधित हैं प्रोटेक्शन, संवर्धन, तो क्या आप काऊ प्रोटेक्शन को कांकरेंट लिस्ट में लेने के लिए सोच रहे है? मेरा निवेदन यह है कि जब तब आप इसे कांकरेंट लिस्ट में लेकर एक कानून नही बनाएंगे, तब तक आपके सारे पत्र, चाहे वह प्रधानमंत्री के हों, वे सब धरे रहेंगे और देश में गाय-बैल कटते रहेंगे और लोगों को यह भोगना है, भोगते रहेंगे। अतः इसका स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : सर, मैंने, पहले भी बताया कि गाय तो कोई कटी नही है और जो फिगर मैंने दीं, वह तो बोवाइन की हैं और मैंने पहले भी यह कहा है कि यह बुलुक है। हमारा जो कंस्टीट्यूशन है, उसमें भी स्पष्ट है—

> "That the States shall endeavour *to organise agriculture and animal* husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, *take steps for preserving and im*proving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves *and other milch and draught* cattle."

तो ये सब उसमें आ जाते हैं। बल भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, यह राज्य सरकार का विषय है और जो राज्य सरकारों ने एक्ट बनाया है, उसमें काऊ पर प्रतिबंध है। बुलुक, जो कि बूढ़े बैल हैं, उसके बारे में भी कुछ प्रतिबन्ध लगाया है कि जहां तक उसमें से उनको नही काटना चाहिए, जो काम कर सकें। ऐसा उसके लिए कानून में प्रतिबन्ध है।

अब जहां तक कांकरेंट लिस्ट में लेने की बात है आज पूरे भारत वर्ष में इन्हीं लोगों ने कंट्रोवरसी चलाई है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। अब जब भी सेंटर कोई कार्यवाही करती है, तो यही लोग आकर करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार पर हम लोगों ने कुछ एन्क्रोचमेंट किया है और आज यहां पालियामेंट में कह रहे हैं कि कांकरेंट लिस्ट में क्यों नही रखते। कांकरेंट लिस्ट में अभी इसलिए नही रखा जा सकता क्योंकि यह हमने रेफर किया है, जो सरकारिया कमीशन एपायंट किया है, उसे वहां अभी डिसाइड होने दो। यह आपने ही कंटरोवर्सी उठाई है कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें भारत सरकार को एक्ट नहीं करना चाहिए इसलिए आज यह इस संदर्भ में मुनासिब नही है और इसे आज की स्थिति में नही किया जा सकता।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : चेयरमन साहब, यह खुशी की बात है कि गौ रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने सबको चिट्ठी लिखी और हमारे कृषि मंत्री जी ने चिटिठ्यां लिखीं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट हैं लेकिन एक बात स्पष्ट नही हैं कि जो गौ-मांस निर्यात होता है, तो एक्सपोर्ट तो स्टेट का सब्जेक्ट नही है। लोकसभा में अभी एक महीने पहले हमारे माननीय कृषिमंत्री जी ने कहा कि गौ-मांस का निर्यात पूर्णत: बंद हैं। कानून से केवल बूढ़ो भैंस और भैंसों का मांस हैं उसके लिए। जबकि फिगर यह बताती हैं कि 1973 में 2,000 टन मांस एक्सपोर्ट होता था, अब 1983 में 80,000 टन हुआ यानी 40 टाइम्स मोर। साथ ही फोरेन कण्ट्री में इसके ऊपर जो प्राइस मिलती हैं वह हमारे मूल्य से दस टाइम अधिक होती है। तो यह बात समझ में नही आती कि फारेन कंट्री वाले 10 गुनी अधिक कीमत बूढ़े भैंसों के मांस के लिए दें और जहां से इस किस्म का मांस जाता हैं, इसका क्या प्रमाण हैं कि जो मांस एक्सपोर्ट हो रहा हैं, उसमें जवान गाय या भैंसों का मांस नही जाता हो। इस लूपहोल के अन्दर बहुत सा मांस जाता हैं। आपने दूसरी बात यह कही कि 'रेनेट' यहां नही बनता। अगर 'रेनेट' यहां नही बनता, तो अमूल वाले जो रेनेट इस्तेमाल करते हैं, वह कहां से आता हैं? 'रेनेट' क्या हैं, यह वह हैं, वैसे बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे...

श्री सभापति : यह 'रेनेट' का सवाल नहीं है...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव है, सवाल है इसका ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : 'रेनेट', लाइट काऊ के पेट में से इंजेक्शन लगाकर जो 'ईस्ट' निकाला जाता है, उसको कहते हैं और आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में तैयार नहीं होता है। तो एक बात तो यह जानना चाहूंगा कि यह 'रेनेट' कहां से आता है और दूसरा यह लिखा जाना चाहिए कि "इन दी प्रोपरेशन आफ चीज़" ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : माननीय सभापति महोदय, जो एक्सपोर्ट की बात है वह हमारी मिनिस्ट्री की नहीं है, मिनिस्ट्री आफ कामर्स डिसाइड करती है। हमको जो जानकारी दी गयी है उस के मुताबिक बीफ के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध हैं क्योंकि गाय यहां कटती नहीं हैं। उस का मांस बाहर भेजने का सवाल उठता ही नहीं है । सवाल यह है कि कुछ मीट यहां से एक्सपोर्ट जरूर होता है। यह मेरा विषय नहीं हैं, इसलिए मैं उस के बारे में कुछ कह नहीं सकता जहां तक 'रेनेट' की बात है, 'रेनेट' यहां नहीं बनता । 'रेनेट' के इम्पोर्ट पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है ऐसी जानकारी मुझे कामर्स मिनिस्ट्री ने दी है । तो इम्पोर्ट भी नही होता । जो पहले आया होगा उस का क्या यूज हुआ, जो प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने चीज़ बनाया उन लोगों को मालूम है (**व्यवधान**) न तो वह देश में बनता है, न बाहर से उसका इम्पोर्ट होता है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उस का व्यवहार हो रहा है ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : आप आज से दस साल पहले की बात करो तो फायदा क्या है । पहले इम्पोर्ट इलाउड था ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आज भी हो रहा है ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : आज नहीं होता । मेरे पास जो जानकारी है कामर्स मिनिस्ट्री की उस के मुताबिक 'रेनेट' इम्पोर्ट नहीं होता ।

श्री सभापति : कोई आर्डर है कामर्स मिनिस्ट्री का ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : काम मिनिस्ट्री ने 'टोटल' बैन किया ।

श्री सभापति : कब ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : उसकी 'डेट' मैं दे सकता हूं ।

श्री सभापति : उससे साफ हो जायगा किसने किया, किसने नही किया ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: There is a total ban on the import of animal rennets since the 7th February, 1984, through a Gazette notification issued by the Ministry of Commerce... (*Interruptions*)

मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, सिफारिश की कामर्स मिनिस्ट्री को ।

श्री सभापति : राव साहब ने रिकमेंड किया ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : राव साहब ने रिकमेंड किया तो बैन हो गया । अभी सवाल नहीं उठता उस को इम्पोर्ट करने का ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैं यह जानना चाहूंगा कि जो चीज़ बन रही है वह 'रेनेट' नहीं है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : अब 'रेनेट' नहीं है । पहले हुआ होगा, पहले बना होगा ।

SHRI SURESH KALMADI: Does he deny that cheese is being made with rennet?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I emphatically deny that rennet is imported in this country. It is totally banned.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : "अमुल चीज़" वालों से पूछना चाहिए कि जो उनकी "चीज़"...

श्री सभापति : आपका सजेशन देख लेंगे कि वह लिख दें कि इसमें 'रेनेट' नहीं है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति, जी, भारत सरकार एक्सपोर्ट कर रही है मांस, को और जितने मवेशियों को मारने का हिसाब दिया है, अगर प्रत्येक मवेशी का मांस यह माना जाय कि एक टन होता है तो शायद आपका जो एकाउन्ट है, स्लाटर होने का, वह बैठ सकता है । अगर एक मवेशी का एक टन मांस नहीं होता है तो इनका हिसाब बिल्कुल गलत है ।

दूसरी बात कि जब भारत सरकार ने मांस को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है और उसे 100 टाइम्स बढ़ाती जा रही है तो दुनिया में माडर्न साइंस जितनी डेवलप्ड है उसमें कोई भी देश बूढ़ी गाय, बूढ़े बैल, बूढ़ी भैंस के मांस को स्वीकार नहीं करेगा और यूरोप के देशों में तो बीफ खाने का ज्यादा शौक है, भैंस का मांस नहीं । यह किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सिर्फ बूढ़ी भैंस का मांस जाता है ।

तीसरी बात हिन्दुस्तान के सारे लोगों की, सारे प्रदेशों की डिमांड है, आचार्य विनोबा भावे डिमांड करते-करते स्वर्गवासी हुए कि गाय के वध पर प्रतिबन्ध लगे । भारत सरकार आज यह कहती है कि हम राज्य सरकारों के अधिकार का हनन नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर हनन करने की आवश्यकता है वहां कर लेते हैं । यह प्रश्न हिन्दुस्तान के सारे लोगों के सेंटीमेंटस के साथ जुड़ा हुआ है, पर मांस पर बैन नहीं लगाते । अभी प्रधान मंत्री की चिट्ठी गयी, राव साहब की चिट्ठी गयी है आने वाले चुनावों की देख कर चिट्ठी गयी है । अगर ये रोकना ही चाहते हैं तो सब से पहले एक्सपोर्ट को रोक दें । मैं फिर से अश्विनी कुमार जी का सवाल दोहराना चाहता हूं कि अगर सरकार सचमुच चाहती है तो इस पर हर प्रकार से प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए । अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस का अर्थ होता हैं स्लाटर करना । वही एक्सपोर्ट नहीं करते है, मवेशी का चारा, खली का भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है । आप चारे की व्यवस्था भी नहीं करते हैं । राव साहब ने कहा था कि अपने मंत्रित्व काल में गाय के वध रोकेंगे और मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यह काम हो जाय, कम से कम भगवान कृष्ण के वंशजों को कुछ तो संतोष हो ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाबेवाला, यह सबजेक्ट स्टेट का है और राज्य सरकारों ने कानून बनाये हैं अलग-अलग जिन में आम तौर पर गाय, फीमेल काउ के स्लाटर के ऊपर पाबन्दी लगी हुई है । कुछ स्टेट्स में कायदे बने हुए हैं कि 14-15 साल से ज्यादा उम्र के बैल हों तो उनको काटा जा सकता

है । उस में भी जगह-जगह कहीं छूट है । कुछ स्टेट्स में पूरी पाबन्दी है । जम्मू और काश्मीर में, जैसा कि जिक्र आया, हिमाचल प्रदेश में पूरी पाबन्दी है, हरियाणा के अन्दर गोवध पर पूरी पाबन्दी है । इस के बावजूद मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कानून होते हुए भी राज्य सरकारें शायद उस कानून को पूरी तरह से अमल में नहीं ला रही हैं । उसकी जिम्मेदारी हम पूरी तरह से नहीं ले सकते । अगर भारत सरकार का भी कोई कानून होगा तो उस का भी एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के जरिये से होगा । तब भी हम पूरी गारन्टी नहीं कर सकते, पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वह कानून कहां तक पूरी तरह से लागू किया जा रहा है । हमारी कोशिश है, जो सेंटीमेंटस आपके हैं वही सेंटीमेंट्स हमारे भी हैं और आम तौर पर भारतवर्ष में लोगों के सेंटीमेंट्स को देखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मुताबिक हमने काउ स्लाटर को बैन कराने की कोशिश की है और जितने कानून स्टेट्स में बने हैं वे भारत सरकार के इनीशिएटिव पर बने हैं । कुछ स्टेट ज्यादा सख्त कानून बना चुकी हैं । अब भी कुछ स्टेट हैं जिन में कानून बिल्कुल नहीं हैं, कोई पाबन्दी नहीं है जैसे केरल हैं, नागालैंड है, बंगाल है । तो अब उन को किस तरह से मजबूर करें जब कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है पार्लियामेंट में कानून पास करने का । यह स्टेट सबजेक्ट है, लेकिन आपके जो सेंटीमेंट हैं वह हमारे भी हैं, प्रधान मंत्री जी ने खुद चिट्ठी लिखी है हमारे पास जब कभी लोग आते हैं । हम लोगों से बातचीत करने के बाद फिर राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि कायदे-कानून को चलाएं, कोशिश करें कि उस पर पूरा अमल हो । मैं यह मानने के लिए भी तैयार हूं कि जिन स्टेट्स में पाबन्दी है गाय कटने पर, वहां भी कभी, हमारे पास रिपोर्ट हैं, कट जाती है । उन स्टेटस का मैं नाम लूं तो मुनासिब नहीं होगा । राज्य सरकारों को हम कहते हैं, उन से रिपोर्ट भी लेते हैं । जहां तक एक्सपोर्ट पर पाबन्दी का प्रश्न है, बीफ के एक्सपोर्ट पर पूरी पाबन्दी लगा रखी है । लेकिन भैंस का गोश्त जाता है और जब से यह सरकार बनी है 1980 में हमने इस बात के लिए भी बहुत जोर दिया कि फीमेल भैंस भी नहीं कटनी चाहिए, उस का गोश्त भी नहीं जाना चाहिए और मेरे लिखने पर बार-बार कामर्स मिनिस्ट्री ने यह माना है और पाबन्दी लगायी है कि भैंस भी हम नहीं कटने देंगे । भैंस का गोश्त भी कुछ लोगों में बहुत पसन्द किया जाता है । अब जितना गोश्त बाहर जाता है, एक्सपोर्ट के लिए कुछ गोश्त जाता है तो उस में कोई चोरी कर ले तो उस की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते । चोरी तो हर किस्म की हो सकती है ।

रेनेट के ऊपर हम पाबन्दी लगा दें इसके बाद भी चोरी हो सकती हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि 'रेनेट' वैजिटेबल रेनेट का इस्तेमाल हो चीज बनाने के लिए । हमारा नेशनल डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन का जो करनाल में इंस्टीट्यूट है वह वैजिटेबल रेनेट से तैयार करता है । उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह सरकारी संस्था है । दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्या-क्या करती हैं इसके लिए हमारी जिम्मेदारी अगर बनती है तो वह फूड मिनिस्ट्री की बनती है । आपने जो तजवीज दी कि डिब्बे पर लिखा जाना चाहिए कि "इसमें ऐनिमल रैनेट इस्तेमाल नहीं किया गया है," आपका यह सुझाव मैं फूड मिनिस्ट्री

को बता दूंगा । इससे ज्यादा हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री सभापति : आपने तो मेरी किताब पढ़ी होगी । मेरे दादा ने मुमानियत कर दी थी कि 'बीफ' हमारे घर में आएगा नहीं, कोई खाएगा नही । मैं आपसे कहूं कि मैं ज्यादा अच्छा ब्राह्मण हूं बीफ के मामले में । सैंकड़ों ब्राह्मण मेरे साथ बैठकर 'बीफ' खा रहे होते हैं ।... (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : आपने कहा कि आप अच्छे ब्राह्मण हैं, ऐंड में आपने क्या कहा ? आप इस मामले में अच्छे ब्राह्मण हैं...

श्री सभापति : इस मामले में, यानी यह कि 'बीफ' के मामले में । आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे ।... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश कुशवाहा : : श्रीमान्, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री सभापति : हम सब का इसी तरफ मन्तव्य है, आप इस पर इत्मीनान रखिए ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : श्रीमान्, मैं बिल्कुल सही बात, एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं । इस विषय में मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान में जो गाय पालेगा वह उसको नहीं काटता हैं । लेकिन जब उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है तो दूसरे लोग खरीदकर ले जाते हैं, वे काटते हैं । तो हम जिन्दगी भर उसका दूध पीते हैं, उसको पालते हैं और बाद में उसको लावारिस छोड़ देते हैं तो वह कसाई के पास चली जाती है । तो मान्यवर, जो लावारिस पशुओं को छोड़ देते हैं उनके लिए कोई सजा की व्यवस्था है या नहीं ?

दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वह यह है कि अरबों रुपये गोशाला के नाम पर धर्मादा में सेठों के हर जगह रखा है । वह पैसा उनके परिवार के शादी, ब्याह में, मकान बनाने में खर्च होता है और वह सब धर्मादा के नाम पर रखा जाता है । मुझे निजी जानकारी है कि छोटे-छोटे कस्बों में सेठों के बच्चों की शादियां धर्मादा के नाम पर होती हैं । तो क्या धर्मादा का पैसा लोग गायों की सन्तानों की रक्षा के लिए खर्च करके गोशाला नहीं बना सकते ? अगर ऐसा किया जाएगा तो गायों के कटने का सवाल हो नहीं उठता । यहां तो आदमी रोज कट जाता है, कोई पूछता नहीं, गायों की बात तो दूर ।... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आपकी तजवीज पर पूरा गौर होगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपके इत्मीनान दिलाने के बाद और जो आपने ख्यालात जाहिर किए उसके बाद तो हाउस को तसल्ली हो जानी चाहिए थी कि आप जिस तरीके से समर्थन करते हैं वैसे ही सब करते हैं... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : हर शख्स अपनी तरफ से कुछ इसको कर सकता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे तो हो सकता है । ... (**व्यवधान**)

राव बीरेन्द्र सिंह : जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया उसमें एक और अहम सवाल निकलता है । जो लोग नहीं पाल सकते, देखभाल नहीं कर सकते बूढ़े जानवर की जहां उनका कुसूर है वहां जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है, जो गोवध पर पाबन्दी

तो लगाना चाहते हैं लेकिन गोशालाओं के बंदोबस्त करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते । जो लोग ज्यादा शोर करते हैं कि कोई बूढ़ा जानवर नहीं कटना चाहिए क्या उनको नहीं सोचना चाहिए या सोसायटी को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उनके लिए गोशालाओं की व्यवस्था हो ?

श्री राम नरेश कुशवाहा : हम लोग धर्मादा में पैसे देते हैं, लेकिन सेठ खा जाते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जितना आप उठाते हैं उससे सौ गुना मैं उठा रहा हूं । मैंने दो गोशालाएं खुद खोली हुई हैं ।... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : जो बूढ़े जानवरों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी एक फेहरिस्त बनवा दी जाए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : – यह सरकार का ही नहीं, सोसायटी का भी काम हैं जो पूरी पाबन्दी गोवध पर चाहते हैं ।–

एक अर्ज और करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल और केरल में कुछ पाबन्दी नहीं है। पार्शियल पाबन्दी इन स्टेटस में कानून बनाकर लागू की गई है ।

श्री सभापति : काफी हो गया । अगला सवाल 42 ।

यूकेलिप्टस का पेड़

*442. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विशेषज्ञों की राय के अनुसार 'यूकेलिप्टस' का पेड़ प्रतिदिन जमीन से बीस लीटर पानी खींचता है जिसके कारण जमीन के अन्दर के पानी का जल-स्तर काफी नीचे चले जाने की सम्भावना रहती है जिसके फलस्वरूप भविष्य में देश की सिंचाई क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) कृषि विशेषज्ञों द्वारा किया गया ऐसा कोई अध्ययन जानकारी में नहीं आया है । भारत में अब तक परीक्षा की गयी 'यूकेलिप्टस' की प्रजातियों से जल क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे विदेशी पेड़ों की जिनमें 'यूकेलिप्टस' शामिल है, तुलना में देशी वृक्ष प्रजातियां लगाने पर जोर दें ।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह जो श्वेत वृक्ष है यह श्वेत वृक्ष की जातियां कहां से आई हैं और किन देश से आप इन पौधों को लाये हैं और देश में इसका फैलाव कर रहे हैं? जब इस श्वेत वृक्ष को आप सोवियत अमेरिका से लाये हैं तो क्या हिन्दुस्तान की मिट्टी में, पानी में, आबोहवा में इसका परीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा कराया गया या नहीं? क्या आबोहवा पर इसका असर पड़ेगा, क्या जमीन पर इसका असर पड़ेगा, क्या कृषि पर इसका असर पड़ेगा, क्या जल स्तर पर इसका असर पड़ेगा, इस चीज का क्या आपने परीक्षण कराया है या बिना परीक्षण कराये हुए ही विदेश से इस वृक्ष को ले आये? यदि इसका परीक्षण कराया तो उत्तर में कहते हैं...